न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 47/2024 ई.रे. दिनांक 09.09.2025

1– कन्या उर्फ कन्हैयालाल दत्तक पुत्र धन्ना मीणा निवासी पायरो का खेडा, तहसील बडीसादडी
– प्रार्थी

बनाम

1– सवली पत्नि रामा मीणा नि. पायरो का खेडा तहसील बडीसादडी
2– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी
–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री एम.के. गोस्वामी प्रार्थी
श्री अविनाश आमेटा विपक्षी

–:: आदेश ::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय आप मे पेश किया है किन्तु उसके अन्तिम निस्तारण मे समय लगने की पुर्ण संभावना है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर पेश है।
2. खाता संख्या नया 144 पुराना 143 की आराजी नम्बर 63 रकबा 0.8200 हैक्टेयर कुल खसरे 1 रकबा 0.8200 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 48 पुराना 58 की आराजी नम्बर 46 रकबा 2.6500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 47 रकबा 0.6500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 48 रकबा 0.8300 हैक्टेयर आराजी नम्बर 49 रकबा 0.1100 हैक्टेयर आराजी नम्बर 50 रकबा 0.0400 हैक्टेयर आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 52 रकबा 0.0800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 53 रकबा 0.3800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 55 रकबा 0.0200 हैक्टेयर आराजी नम्बर 56 रकबा 0.1300 हैक्टेयर आराजी नम्बर 58 रकबा 0.3200 हैक्टेयर आराजी नम्बर 60 रकबा 0.3900 हैक्टेयर आराजी नम्बर 61 रकबा 0.1300 हैक्टेयर आराजी नम्बर 62 रकबा 0.6100 हैक्टेयर कुल खसरे 14 रकबा 6.5900 हैक्टेयर ग्राम पायरो का खेडा तहसील बडीसादडी मे स्थित है। सम्बोधित किया जायेगा।
3. उक्त प्रार्थना पत्र में मृतक धन्ना था जिसके एक पुत्र रामा हुआ था जिसकी पत्नि सवली हैं जो प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी 1 हैं तथा मृतक धन्ना के एक मात्र पुत्र रामा की मृत्यु होने पर मृतक धन्ना ने प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल को गोदी पुत्र रखा था। रामा ही मृत्यु के बाद अप्रार्थी सवलीबाई घर छोडकर कही अन्य जगह चली गयी थी। यह कि मृतक धन्ना जी के ओर कोई वारिसान नही थे तो प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल को गोद रख[illegible] की सेवा चाकरी खाना पीना व ईलाज आदि प्रार्थी ही करता था । धन्ना जी की मृत[illegible] बा[illegible]रे सामाजिक कार्यक्रम व रिति रिवाज भी प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल ने किये थे। जबकि अ[illegible] सवली ने अपने ससुर जी धन्ना के लिए कोई भी सामाजिक कार्यक्रम [illegible] प्रार्थी अकेले ने [illegible] कार्यक्रम किये। अप्रार्थी सवली ने एक रूपया [illegible] जी के लिए नही कि[illegible] कि धन्ना

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:15 IST
Reason: SelfAttested

जी के एक मात्र पुत्र रामा की मृत्यु के बाद कोई औलाद नही होने के कारण धन्ना जी अपने जीवनकाल मे ही प्रार्थी को गोद लिया था तभी से प्रार्थी उनका दतक पुत्र होकर उनके साथ ही रहता चला आ रहा था। धन्ना जी की समस्त चल अचल सम्पति पर काबीज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। धन्ना जी का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है:– मूल पुरुष धन्ना (मृतक) थे जिनके दो पुत्र थे रामा (मृतक) व कन्या उर्फ कन्हैयालाल(गोदी पुत्र) । रामा की पत्नी सवली ।

4. धन्ना ने अपने जीवनकाल मे ही प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल को गोद समाज व गावों वालो के सामने गोदी पुत्र से सभी संस्कार पर गोद रख लिया था । मृतक धन्ना जी की मृत्यु के बाद से प्रार्थी अपने हक हिस्से ही चल अचल सम्पति पर काबीज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

5. धन्ना जी की मृत्यु के पश्चात उनकी आराजीयात का नामान्तरण प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल व रामा की पत्नि सवली के नाम दर्ज किया गया जो रिकार्ड है। यह कि खाता संख्या नया 48 में तो प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल का नामान्तरण दर्ज रिकार्ड कर दिया लेकिन सहवन से खाता संख्या नया 144 में नामान्तरण नही खुला और मात्र अप्रार्थी 1 सवली का ही नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जो गलत है जबकि खाता संख्या 144 में भी प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल का नाम लगाया जाना न्यायोचित था। लेकिन प्रार्थी का नाम खाता संख्या 144 में दर्ज करना रह गया इसलिए प्रार्थी का नाम घोषित किया जाना न्यायोचित है।

6. वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल का नाम अप्रार्थी सवली के साथ दर्ज नहीं है जिस कारण अप्रार्थी सवली आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा कर प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात पर भी कब्जा करना चाहती है जिससे वह प्रार्थी को परेशान करती है साथ ही प्रार्थी द्वारा काबिज हक हिस्से की आराजीयात को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने व हस्तान्तरण करने पर भी आमदा है जिस कारण अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषैधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी को खाता संख्या नया 144 के हक हिस्से की कब्जेशुदा आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी ना करे ना करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भुभाग को रहन, विक्रय , अथवा हस्तान्तरण या खुर्द बुर्द ना करे ना करावे।

7. वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से पर काबिज हैं किन्तु रिकार्ड में बंटवाडा नही होने के कारण हासल, व कमी पेशी को लेकर लडाई झगडा व विवाद होता रहात है जिस कारण प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल का हिस्सा अलग कर विधिवत रूप से बटवाडा किया जाकर दर्ज रिकार्ड फरमाया जाना आवश्यक है।

8. अप्रार्थीगण को यदि अस्थायी निषैधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी अपुर्णनीय क्षति कारीत होगी जिसकी पुर्ति अन्य रूप से संभव नही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी कन्या उर्फ कन्हैयालाल के हक हिस्से की कब्जाशुदा आराजीयात मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे ना करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भुभाग को रहन, विक्रय अथवा हस्तान्तरण या खुर्द बुर्द ना करे ना करावे।

वकील विपक्षी ने अपना जवाब निम्न प्रकार पेश किया –

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वाद पत्र प्रस्तुत होना स्वीका[illegible]

2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में प्रार्थी कन्हैयालाल द्वारा खाता [illegible] नया 144 पुराना 143 पुराना 143 की आराजी नम्बर 63 रकबा 0.8200 हैक्टेयर [illegible] 1 रकबा 0.8200 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 48 पुराना 58 की आराजी नम्बर 46 रकबा 2.3500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 47 रकबा 0.6500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 48 रकबा 0.8300 हैक्टेयर आराजी नम्बर 49 रकबा 0.1100 हैक्टेयर आराजी नम्बर 50 रकबा 0.0400 हैक्टेयर आराजी नम्बर 51 रकबा 0.2500 हैक्टेयर आराजी नम्बर 52 रकबा 0.0800 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
घड़ीसाघड़ी

आराजी नम्बर 53 रकबा 0.3800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 55 रकबा 0.0200 हैक्टेयर आराजी नम्बर 56 रकबा 0.1300 हैक्टेयर आराजी नम्बर 58 रकबा 0.3200 हैक्टेयर आराजी नम्बर 60 रकबा 0.3900 हैक्टेयर आराजी नम्बर 61 रकबा 0.1300 हैक्टेयर आराजी नम्बर 62 रकबा 0.6100 हैक्टेयर भूमि पायरो का खेडा में होना स्वीकार है परन्तु खाता संख्या नया 144 जिसके वास्तविक खातेदार सवली एवं शंकर है उक्त खाते में प्रार्थी कन्या खातेदार नही है एवं अन्य खाता संख्या नया 48 में कन्या ने बिना किसी वैधानिक दस्तावेज के अपना नाम गोदी पुत्र के रूप में दर्ज करवाया जबकि धन्ना जी के पुत्र रामा हुआ व रामा की पत्नी सवली है व बिना किसी की सहमती के धन्ना ने अपने आप को गोदी पुत्र के नाम विरासत से गलत नामान्तरण खुलवा लिया बल्की कन्या के वास्तविक पिता नारायण है।

3. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि ऐसा कोई गोद नामा या दस्तावेज कन्या के सम्बन्ध में पत्रावली पर मौजुद नही है लेकिन विपक्षी संख्या 1 सवली रामा की वैधानिक पत्नी है एवं रामा धन्ना का प्राकृतिक पुत्र था।

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। एवं ऐसा कोई वैधानिक दस्तावेज पत्रावली पर मौजुद नही है।

5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में कन्या द्वारा संख्या नया 48 में किस दस्तावेज के आधार पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाया यह स्पष्ट नही है एवं खाता संख्या 144 में कन्या कोई वास्तविक खातेदार नही है। विपक्षी संख्या 1 सवली रामा की पत्नी है जो कि खातेदार धन्ना जी के वास्तविक पुत्र थे। इस कारण किसी प्राकर की घोषणा कराने का अधिकार प्रार्थी कन्या को नही है।

6. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में खाता संख्या नया 144 में कन्या उर्फ कन्हैयालाल का नाम खातेदारी में दर्ज नही होना स्वीकार है एवं इसी कारण से प्रार्थी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं प्रार्थनापत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा की दाद मांगी जाती है स्थायी निषेधाज्ञा की नहीं है।

7. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है जबकि खाता संख्या नया 144 में प्रार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज नही है एवं खाता संख्या नया 48 में प्रार्थी ने गलत रूप से अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाया है।

8. प्रार्थना पत्र की चरण 8 में प्रार्थी खता संख्या खाता संख्या नया 144 में प्रार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज नही है एवं खाता संख्या नया 48 में प्रार्थी ने गलत रूप से अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाया है इस कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्ततिय क्षति होना संभव नही है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र को सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील विपक्षी ने अपने दस्तावेज में ग्राम पंचायत बांसी का प्रमाण पत्र पेश किया तथा पहचान के अन्य दस्तावेज पेश किये। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं का प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– प्रथम दृष्टया मामला

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के कृषि भूमि के खाते अलग –अलग है प्राथी सहखातेदार नही है विपक्षीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। प्रार्थी अपने प्रार्थ[illegible] दस्तावेजों एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दड़ीसादड़ी

उक्त दोनों विन्दु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध पाया गया है जिसको प्रमाणित करने में प्रार्थी असफल रहा है। विपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नहीं हो रही है बल्कि विपक्षीगण रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार हैं । अगर इनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है तो अपूरणीय क्षति व असुविधा विपक्षीगण को हो सकती है। इस प्रकार दोनो विन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाते है।
तीनो ही तात्विक विन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में असफल रहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर. खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09/09/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:25:15 IST
Reason: SelfAttested